न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, (आर.ए.एस.)
पत्रावली संख्या. 81/2022
किस्म :–वाद
दायर दिनांक : 24.05.2022

भंवर लाल पिता प्यारचन्द जी जाति प्रजापत उम्र 45 वर्ष, निवासी चांपाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ड– 9772125381

——— वादी

बनाम

1. प्यारचन्द पिता गोकल जाति प्रजापत, उम्र 65 वर्ष, निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. रोशनलाल पिता प्यारचन्द जाति प्रजापत उम्र 42 वर्ष निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. लालचंद पिता प्यारचन्द जाति प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा, जिला राजसमंद

——— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–वादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री अनिल यादव
प्रतिवादी की ओर से :– एक पक्षिय

निर्णय

दिनांक 26.02.2026

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम चांपाखेडी तहसील रेलमगरा की वर्तमान खाता संख्या 109 में निम्न कृषि भूमियां स्थित है – आराजी संख्या 308 309 543/310 544/308 व 59 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6350 हैक्टर है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है प्रमाण में जमाबंदी की नकल संवत 2077 की साथ संलग्न है। इस प्रकार ग्राम चांपाखेडी की वर्तमान खाता संख्या 230 में निम्न कृषि भूमियां स्थित है। आराजी संख्या 475/303 रकबा 0.0405 है0 है। उक्त कृषि भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रमाण में जमाबंदी संवत 2077 की साथ संलग्न है। इसी प्रकार ग्राम चांपाखेडी वर्तमान खाता संख्या 111 में निम्न कृषि भूमियां स्थित हैं। आराजी संख्या 547/308 रकबा 0.0162 हैक्टर है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है प्रमाण में जमाबंदी संवत 2077 की साथ संलग्न है। इसी प्रकार ग्राम चांपाखेडी वर्तमान खाता संख्या 139 में आराजी संख्या 58 रकबा 0.0243 किस्म आ.चा. राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हैं प्रमाण में जमाबंदी संवत 2077 की साथ संलग्न है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पूर्व में गोकल पिता भेरा कुम्हार के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित रही नकल नामांतरकरण संख्या 157 की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। गोकल पिता भेरा कुम्हार वादी के दादाजी है । वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में गोकल पिता भेरा कुम्हार के नाम पर जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादाजी थे के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित थी तथा वादी के दादाजी गोकल पिता भेरा कुम्हार की मृत्यु पश्चात उपरोक्त कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व हजारी के नाम पर नामान्तरित होकर वर्तमान में खाता संख्या 109 में स्थित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर व खाता संख्या 230, 111, 139 में स्थित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व हजारी के वारिसान के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की पैतृक भूमियां है उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयातों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का हिस्सा वंशानुक्रम के आधार पर एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से हक अधिकार बनता है क्योंकि गोकल पिता भेरा कुम्हार की मृत्यु पश्चात वादी के एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पिता प्यारचन्द जी व उनके बड़े पिता हजारी के नाम पर नामान्तरित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हुई है। जिनमें वाद पत्र की कलम संख्या 1 अ में वर्णित सभी आराजीयात वादी के पिता प्यारचन्द पिता गोकल कुम्हार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 ब में वर्णित आराजीयातों में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 स में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व आराजी संख्या 58 किस्म आचा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है वाद पत्र की पैरा संख्या 1 अ में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2, 3 का 1/5 हिस्सा तथा पैरा संख्या 1 ब में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/10 हिस्सा बनता है तथा पैरा संख्या 1 स में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/10 हिस्सा इसी प्रकार आराजी संख्या 58 आचा में वादी का 1/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी 1/80 हिस्सा हैं उक्त वादग्रस्त भूमियां संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की भूमियां होकर हिन्दू विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिन जमना का भी समान हक अधिकार बनता है वादी उक्त भूमियों का सहहिस्सेदार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक अधिकार है वादग्रस्त भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समान हक अधिकार हिस्सा उक्त भूमियों में है। वाद पत्र की पैरा संख्या 1 अ में वर्णित आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 व बहिन जमना का प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/5 हिस्सा एवं वाद पत्र की कालम संख्या 1 ब में वर्णित कृषि भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व जमना का

नाजायज फायदा उठाते हुए तथा वादी का पैतृक भूमिया के हिस्से से बेदखल करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमियों को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व अन्य के नाम पर विक्रय, दान, रहन, बह बक्षीश के जरिये अंतरित कर वादी को उक्त भूमियों के हिस्से एवं उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहता हैं जबकि उक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादी का जन्म से हक अधिकार होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलकर वादी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्थित भूमियां अपने नाम पर अंतरित कराना चाहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज 10 दिन पूर्व उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने की वादी को धमकियां देना शुरू कर दिया है। जिस कारण वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि उक्त पैतृक भूमियों में अपना स्वत्व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व हिस्से की भूमियों में से घोषित करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करना नितांत आवश्यक हो गया है जिससे वादी की ओर से उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर स्थित कृषि भूमियों को विक्रय, दान या हस्तान्तरण करने से एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 द्वारा वादी को अपने हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग व कृषि काश्त से वंचित करने से वादी को भारी अपूर्णनीय क्षति कारित होगी तथा वादी अपने वैध हक अधिकारों से सदैव के लिये वंचित हो जायेगा जिसकी पूर्ति नकदी में कर पाना सर्वथा असंभव होगी। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 या किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, रहन, बह बक्षीश के जरिये अंतरित नहीं करने एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 वादी के हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग कृषि काश्त में बाधा दखलअंदाजी, हस्तक्षेप कारित नहीं करें इस हेतु इन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना नितांत आवश्यक है। वाद पत्र की पैरा संख्या 1 अ, ब, स में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, व जमना का वाद पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित हिस्सेनुसार हिस्सा घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में स्वतंत्र अंकन फरमाया जावे इस निमित वादी की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की पैरा संख्या 1 अ, ब, स में वर्णित आराजीयातों को आज से करीब 10 दिन पूर्व से अपने नाम व हिस्से की भूमियों को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण करने की धमकियां वादी को दी गई तथा अन्तरण करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 वादी को अपने हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप, कारित की जिससे वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिस निमित वादी की ओर से उक्त वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। वाद हेतु आज से करीब 10 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र की पैरा संख्या 1 अ, ब, स में वर्णित भूमियों को विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी बनने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 से मिलाभगती कर वादी के हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग में बाधा दखलअंदाजी कारित करने से उन्हें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारक होने से तथा आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे कोई दाद नही चाही गई है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चांपाखेड़ी तहसील रेलमगरा में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को अभिप्रेत है। वादग्रस्त जायदाद का मुल्यांकन 3 तीन लाख रूपये कायम किये जाकर निश्चित न्यायशुल्क 4 रूपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के स्वीकार फरमाया जाकर निमन आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किये गये। प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए। सभी को बार बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित। इनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा की जाती है। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य में साक्ष्य ापथ पत्र पीडल्ब्यू – 1 (भवरलाल पिता प्यारचन्द) मय गवाह बयान कलम बंद करायें।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अधिवक्ता वादी की बहस एवं साक्ष्य शपथ मय बयान आदि का अवलोकन करने से वादवादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है अतः वादी का वाद को स्वीकार जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि –

:: आदेश ::

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा वादी को वाद ग्रस्त भूमि ग्राम चांपाखेडी तहसील रेलमगरा की वर्तमान खाता संख्या 109 में 1/5 वां हिस्सा व खाता संख्या 230, 111 में 1/10 वा हिस्सा व आराजी संख्या 58 आचा में 1/80 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत, ~~ग्रेड~~ RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, रेलमगरा (राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाइ
(आदेश 20 नियम 6 व 7)
(ब्मअपस च्तवबमकनतम ब्वकम ।चचमदकपग . क)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, **(आर.ए.एस.)**
पत्रावली संख्या :– 81/2022
किस्म :– राजस्व वाद
दायर दिनांक :–24.05.2022
निर्णय दिनांक :– 26.02.2026

अनवान

भंवर लाल पिता प्यारचन्द जी जाति प्रजापत उम्र 45 वर्ष, निवासी चांपाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद – 9772125381

––––– वादी

बनाम

1. प्यारचन्द पिता गोकल जाति प्रजापत, उम्र 65 वर्ष, निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद्
2. रोशनलाल पिता प्यारचन्द जाति प्रजापत उम्र 42 वर्ष निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद्
3. लालचंद पिता प्यारचन्द जाति प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी चांपाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद्
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा, जिला राजसमंद

––––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी श्री **अनिल यादव**, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व . .....मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा वादी को वाद ग्रस्त भूमि ग्राम चांपाखेडी तहसील रेलमगरा की वर्तमान खाता संख्या 109 में 1/5 वां हिस्सा व खाता संख्या 230, 111 में 1/10 वा हिस्सा व आराजी संख्या 58 आचा में 1/80 हिस्सा का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है।

नीज – ..... – .... मुबलिज – ..... – .... बाबत् – ..... – .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर – ..... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ..... – .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2026 को जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत, तौद्ध

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा

स्टाम्प अजीनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प हाजरी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील पर
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान्
खर्चा गवाहान्	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक	मिलान

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फेरिकेन का चाहे किसी के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर